



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022022-233426
CG-DL-E-15022022-233426

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 635]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 15, 2022/माघ 26, 1943

No. 635]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 15, 2022/MAGHA 26, 1943

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2022

का.आ. 654(अ).—दिनांक 17.08.2006 को अधिसूचित तथा 16.05.2016 को यथासंशोधित मुख्य वैद्युत निरीक्षक और वैद्युत निरीक्षक की अर्हता, शक्ति और कार्य नियमावली, 2006 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के निम्नलिखित अधिकारी को सीईए के लिए मुख्य वैद्युत निरीक्षक के रूप में इस अधिसूचना की तारीख से सीईए में उनके कार्यकाल तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उक्त नियम में उल्लिखित योग्यता और शर्तों को पूरा करने के अधीन, नियुक्त करती है।

क्रम सं.	नाम (श्री)	पदनाम	नियुक्ति का स्थान	के रूप में नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव
1	रमेश कुमार	मुख्य अभियंता	मुख्य वैद्युत निरीक्षणालय प्रभाग	मुख्य वैद्युत निरीक्षक

उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारी, समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, सीईए के अधिकार वाले क्षेत्रों में प्रचालनाधीन वैद्युत कार्यों, वैद्युत संस्थापनाओं तथा वैद्युत रोलिंग स्टॉक से संबंधित कार्यों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अपना कार्य निष्पादित करेंगे।

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त अधिकारी किसी विद्युत कार्य अथवा संस्थापना के संबंध में मुख्य वैद्युत निरीक्षक के रूप में कार्य ना करें, जिसका निष्पादन या रख-रखाव उनकी जिम्मेदारी है।

वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारी वह प्रशिक्षण लेंगे जिसे केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे तथा ऐसा प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के स्तर तक पूरा किया जाएगा।

[फा.सं. 42/5/2016-आरएण्डआर]

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2022

S.O. 654(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Qualification, Power and Function of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 (herein after called the said Rules) notified on 17.8.2006 and as amended on 16.05.2016, the Central Government hereby appoints the following officer of Central Electricity Authority as Chief Electrical Inspector for CEA, from the date of this Notification till their tenure in CEA or till further orders, whichever is earlier, subject to fulfillment of the qualification and Condition mentioned in the said Rules.

Sl. No.	Name (Shri)	Designation	Place of Posting	Proposed to be appointed as
1.	Ramesh Kumar	Chief Engineer	Chief Electrical Inspectorate Division	Chief Electrical Inspector

The above mentioned officer shall exercise the powers and perform their functions in respect of electrical works, electrical installations and electrical rolling stock in operation within the jurisdiction of CEA, as per the procedure provided in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time.

It shall be ensured that above said officer do not function as the Chief Electrical Inspector in respect of any electrical work or installation, the execution or maintenance of which is their responsibility.

The officer appointed as Chief Electrical Inspector shall undergo such training as the Central Government may consider necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the Government.

[F.No.- 42/5/2016-R&R]

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.